



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2274 /2026

मोहम्मद कलम कुरैशी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 15 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता

: फख्रुज्जमां

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: अशोक कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की है:-

"क) दिनांक 21.11.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसका अपराध संख्या 363/2025 है और जिसमें भा0दं0सं0 की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी, 504, 506 के तहत मामले दर्ज हैं, पुलिस स्टेशन-प्रेमनगर, जिला-झांसी में प्रतिवादी संख्या 4 से 16 की गिरफ्तारी के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध परमादेश के रूप में उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

ख) दिनांक 21.11.2025 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (अपराध संख्या 363/2025, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी, 504, 506, पुलिस स्टेशन-प्रेमनगर, जिला-झांसी)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के तहत प्रतिवादी संख्या 2 या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए परमादेश के रूप में उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ग) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो इस माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

घ) वर्तमान रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.11.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी, जिला झांसी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों को उजागर करे।

शिकायत और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए, यदि ऐसा आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी, जिला झांसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी, जिला झांसी/प्रतिवादी संख्या 3 इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

फरवरी 17, 2026

ज़फ़र

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”